न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2021 G.C.M.S. No. 2021/44 दर्ज दिनांक : 15.02.2021

अपीलार्थिगण:

1. मोहनलाल पुत्र शेराराम, उम्र वयस्क
2. धन्नाराम पुत्र शेराराम, उम्र वयस्क, जातिगण कुम्हार, निवासी माण्डा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रघुनाथ पुत्र मांगीलाल, उम्र वयस्क
2. रतनलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र वयस्क, जातिगण मेघवाल, निवासीगण माण्डा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व विविध संख्या 154/2019 बअनवान रघुनाथ बनाम धनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.01.2021

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री वीरम मोहबारशा, श्री पंकज दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व विविध संख्या 154/2019 बअनवान रघुनाथ बनाम धनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 02 ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी आराजी में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.10.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली अप्रार्थी संख्या दो के तलबी हेतु नियत थी दिनांक 23.10.2020 को अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या दो मोहनलाल के सही पते के सम्मन पेश करने का रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को आदेश दिया था लेकिन उक्त आदेश के बाद में अप्रार्थी संख्या दो मोहनलाल के सम्मन कभी पेश नही किये गये, न ही अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में 251–क का जो आवेदन पेश किया उक्त आवेदन में खसरा नम्बर 640 की किस माठ के सहारे रास्ते की आवश्यकता है अंकित नहीं किया है, न ही साथ में कोई नजरी नक्शा पेश किया है, जिस कारण से भी आवेदन अपूर्ण व अस्पष्ट होने से जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 640 में से रास्ते की मांग की थी जबकि खसरा नम्बर 640 मौके पर व राजस्व रेकर्ड में विभाजित है, खसरा नम्बर 1546/640 व 1547/640 के रूप में स्थित है, खसरा नम्बर 1546/640 अपीलार्थी संख्या दो का व 1547/640 अपीलार्थी संख्या एक की खातेदारी का स्थित है, किस खसरे में से रेस्पोडेन्ट ने रास्ते की मांग की व उसके आवेदन से स्पष्ट नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.10.2020 में अंकित किया कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जांच रिपोर्ट व गणना रिपोर्ट पेश की गई जबकि उक्त पत्रावली में दिनांक 23.10.2020 को कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई, न ही अपीलान्ट के समक्ष कभी किसी तरह का मौका देखा गया न ही अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में नोटिस दिया इससे स्पष्ट है कि दिनांक 23.10.2020 को किसी तरह की कोई रिपोर्ट पत्रावली में पेश नहीं हुई। दिनांक 12.01.2021 की आदेशिका में पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार महोदय से जांच रिपोर्ट व डी.एल.सी. रिपोर्ट तलब की गई आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.01.2021 को नियत की गई यानि जांच रिपोर्ट एवं आदेश की तारीख के मध्य एक दिन का अन्तराल रखा इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट के साथ मिलावट कर जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया। भू–अभिलेख निरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 13.01.2021 को जो मौका देखा गया उससे पूर्व अपीलार्थी को न तो नोटिस दिया गया और न ही मौके पर बुलाया एवं एक तरफा रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो से मिलावट करते हुए उनके कहे अनुसार मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर दी उक्त एक पक्षीय रिपोर्ट किसी भी रूप से साक्ष्य में पढने योग्य नहीं हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक महोदय का वैधानिक कर्तव्य था कि मौका देखा जाने से पूर्व विधिवत रूप से सम्बन्धित एवं प्रभावी पक्षकार को नोटिस दिया जाता है एवं उसके बाद सभी की उपस्थिति में मौका देखा जाता है। उपरोक्त मौका फर्द रिपोर्ट पूर्ण रूप से एक पक्षीय मिलावट कर तैयार की गई है, एकपक्षीय रिपोर्ट निर्णय का आधार नहीं हो सकती है, न ही उक्त साक्ष्य में पढे जाने योग्य हैं। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 641 तक पहुंच के लिए रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.01.2021 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रथम रिपोर्ट दिनांक 11.08.2020 को भू.अ.नि माण्डा व नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन की रिपोर्ट तथा इसके पश्चात दिनांक 13.01.2021 की भू.अ.नि. माण्डा की रिपोर्ट। उक्त दोनों रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 641 व सोजत फुलाद सड़क मार्ग के मध्य मूल खसरा संख्या 640 स्थित है। उक्त खसरा संख्या 640 का विभाजन होकर दो खसरा संख्या 1546/640 व 1547/640 निर्मित हुए। खसरा संख्या 1546/640 रकबा 0.1600 वर्गमीटर दिनांक 31.12.2020 को संपरिवर्तित हो चुका था तथा खसरा संख्या 1547/640 की दक्षिणी माठ के सहारे लोहे के बिजली के दो बड़ें पोल खड़े होने से मार्ग खसरा संख्या 1547/640 के उत्तरी सीमा के सहारे प्रस्तावित किया गया। भू.अ. नि. द्वारा अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थिति बाबत तलब करने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विस्तृत मौका रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत खसरा संख्या 1547/640 की उत्तरी सीमा के सहारे अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। भू–नक्शा एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 641 तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अर्थात रास्ते की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। साथ ही भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का एकमात्र विकल्प है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।
3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व विविध संख्या 154/2019 बअनवान रघुनाथ बनाम धनाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली